प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 9

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2021..

प्र. इ. रि. स. ....35/22.................... दिनांक ....8/2/2022..

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 ......धारायें...7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 ....

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .... 201, 120बी भा.द.सं.................... ....

(स) अधिनियम ....धारायें...

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...135.........समय.............9.45 A.M...

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 06.02.2022.... समय 10.05 पी.एम. ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.02.2022 समय.......01.10 पीएम..

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 1 किमी ....

(ब) पता – पुलिस थाना गंज, अजमेर बीट सख्या .... जरायमदेही सं.................................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना...जिला.......................................

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री विनोद वैष्णव...

(ब) पिता का नाम श्री बद्री दास वैष्णव ....

(स) जन्म तिथि /वर्ष 30 साल..

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...

जारी होने की जगह...

(र) व्यवसाय...... ....प्राईवेट ....

(ल) पता .. गाडरियो का मोहल्ला, जोयडा पोस्ट निलोद तहसील भूपाल सागर जिला चितोडगढ हाल यू.आई.टी. कॉलोनी, मेला तालाब, गोर्वधन विलास उदयपुर ....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री भागचन्द रावत पुत्र श्री बिजा सिंह रावत उम्र 43 साल, निवासी नया गांव पोस्ट राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल मकान न0 ए–1 जवाहर कालोनी पर्वतपुरा (माखुपुरा) बाईपास अजमेर हाल हैड कानि न0 1837 रीडर वृताधिकारी वृत दरगाह, अजमेर मो.नं. 9588299461,
2. श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री सांवर लाल शर्मा उम्र 27 साल जाति ब्राह्मण निवासी गांव खापरी पोस्ट भवानीखेड़ा, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर हाल हटूण्डी रोड़ श्मशान के पास माखुपुरा, अजमेर मो.नं. 7568267873
3. श्री कुशाल सिंह राव पुत्र श्री भंवर सिंह राव उम्र 29 साल जाति राव निवासी म.नं. 525, अर्जुन लाल सैठी नगर, आदर्श नगर, अजमेर मोबाईल नं. 8949389715

एवं अन्य।

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

....60,000रू0 रिश्वत राशि...

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)...................................

.............................60,000/– –रू0 रिश्वत राशि ....

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुये को पकडावाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुज प्रार्थी विनोद वेष्णव व मेरे साले व सुसराल वालो के खिलाफ मेरे साले हितेष की पत्नी श्रीमति ममता साहु पुत्री श्री बाबुलाल उम्र 28 साल निवासी अजमेर ने दिनांक 31.12.2021 को पुलीस थाना गंज अजमेर में F.I.R. NO. 407/21 अपहरण व बलात्कार के संबंध में दर्ज करवाई, जिसकी कॉपी हमने कोर्ट से निकलवाई है। इस मुकदमें कि जांच श्री पार्थ शर्मा, सी.ओ. साहब दरगाह अजमेर द्वारा की जा रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सी.ओ. साहब का रिडर भागचन्द व उनका दलाल श्री मनीष शर्मा जो कि अपने आपको वकिल बताता है लगातार फोन से सम्पर्क कर मुकदमें में FR लगाने के लिए 3 लाख रू रिश्वत की मांग कर रहे है। श्री पार्थ शर्मा सी.ओ. साहब दिनांक 19.1.22 को मेरे साले के उदयपुर के किराये के मकान पर जांच करने आये थे तब मुझे और मेरी पत्नी को भी वहा पर बुलाया था। उस दिन डिपटी साहब पार्थ शर्मा ने ईशारे में रूपये मागे वे अजमेर

आने के लीए कहा था। इसके बाद दिनांक 28.01.22 को भागचन्द रिडर उदयपुर मेरे साले के घर आये थे जहा पर मे भी उनसे मिला था। तब भागचन्द ने मुझसे कहा कि रूपयो कि वेवस्था करके अजमेर आ जाओ डिप्टी साहब से बात हो गई है। FR लगा देन्गे तथा मनिष से मिलने के लिए कहा था। मे रिश्वत नही देना चाहता हु कार्यवाही करावे दिनांक 3/2/2022 प्रार्थी हस्ता0 विनोद/बद्रीदास वेष्णव 8849801783

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समयः– 1.10 पीएम दि0 03.02.2022

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री विनोद कुमार वैष्णव पुत्र श्री बद्री दास जाति वेष्णव उम्र 30 साल निवासी गाडरियो का मोहल्ला, जोयडा पोस्ट निलोद तहसील भूपाल सागर जिला चितोडगढ हाल यू.आई.टी. कॉलोनी, मेला तालाब, गोर्वधन विलास उदयपुर ने अपने मौसेरे भाई श्री गणेश उर्फ गोविन्द पुत्र श्री प्रभुदास वेष्णव उम्र 37 साल निवासी छीपो का आकोला पुलिस थाना आकोला जिला चितौडगढ हाल पाला गणेश मन्दिर के पास उदयपुर पुलिस थाना घण्टाघर उदयपुर मोबाईल नम्बर 8003943636 ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी श्री विनोद वैष्णव को पढकर सुनाया तो स्वंय का हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न अपने–अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं परिवादी विनोद ने उसके व उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना गंज अजमेर मे दर्ज एफआईआर नम्बर 407/21 दिनाक 31.12.2021 धारा 354,366,376डी,344,377,511 आईपीसी की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी विनोद वेष्णव व उसकी पत्नि फूल कंवर, उसके साले हितेष वैष्णव, अर्जुनदास, भूपेन्द्र व सीमा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना व प्रकरण का अनुसंधान श्री पार्थ शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, वृताधिकारी दरगाह अजमेर द्वारा किया जाना पाया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर परिवादी से दरियाप्त की गई तो बताया हमारे विरूद्ध एफआईआर मेरे साले हितेष की पत्नि श्रीमति ममता साहू निवासी अजमेर ने झूठी दर्ज करवायी है। इस प्रकरण के दर्ज होने के कुछ दिन बाद से ही सी.ओ. साहब का रीडर श्री भागचन्द जिसके मो0न0 9588299461 एवं उनका दलाल श्री मनीष जिसके मोबाईल 7568267873 है लगातार फोन पर बात कर रहे है तथा मुकदमें में एफआर लगाने के लिए श्री मनीष जो अपने आपको वकील बता रहा है ने वाहटसप पर कांल कर तीन लाख रूपये की मांग की तथा कहा कि डिप्टी साहब पार्थ शर्मा जी मेरे खास है तथा मैने पहले भी 2–3 मामले सेट करवाये है। डिप्टी सा0 आपसे सीधे रूपयों की बात नही करेगे। डिप्टी सा0 ने ही मुझे आपसे बात करने व आपसे 3 लाख रूपये लेने के लिए कहा है। दिनांक 16.01.2022 को मै व मेरा साला हितैष तथा हमारे वकील साहब पुष्पेन्द्र सिंह जी राणावत तीनो ही अजमेर आये थे उस दिन डिप्टी ऑफिस में डिप्टी साहब, श्री भागचन्द जी रीडर मिले थे तब भागचन्द जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो ममता व कविता के मध्य हुई विडियो रिकॉर्डिंग है उसकी सीडी पेश कर देना तथा 19.01.2022 को मै और डिप्टी साहब उदयपुर आयेगें तो शादी के कागजात पेश कर देना और मौका दिखा देना। दिनांक 18.01.22 को मनीष शर्मा ने भी मुझे फोन कर कहा कि कल डिप्टी साहब आ रहे हैं। इसके बाद दिनांक 19.01.2022 को डिप्टी साहब पार्थ शर्मा उदयपुर आये थे। भागचन्द उनके साथ मे नही था। डिप्टी साहब ने हमारे उदयपुर के पडौसियो के बयान लिये तथा मौका देखकर कर चले गये। इसके बाद डिप्टी सा0 का रीडर भागचन्द भी दिनांक 28.01.22 को उदयपुर आया तब भी उसने मेरे से रूपयो की मांग करते हुये कहा कि जब भी रूपयों की व्यवस्था हो जावे तो जल्दी से जल्दी अजमेर आ जाना, डिप्टी सा0 से मेरी बात हो गयी है एफआर लगा देगे तथा मनीष जी वकील हमारे ही आदमी है उनसे मिल लेना। मैने डिप्टी साहब से बात करने के लिए कहा तो कहा कि डिप्टी साहब, मै व मनीष जी एक ही है। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरा व भागचन्द, मनीष व डिप्टी साहब से आपस में कोई लेन–देन का मामला नही है व ना ही इनसे कोई रंजिश है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाप्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर कार्यालय के श्री रामचन्द्र HC 58 को बुलाकर कार्यालय की आलमारी से एक डिजिटल वांयस रिकार्डर निकलवाया जाकर उसमें एक नया मेमोरी कार्ड डालकर श्री विनोद व उसके मौसेरे भाई श्री गणेश से आपस में परिचय करवाया। इसी दौरान सी0ओ0 दरगाह के रीडर श्री भागचन्द का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया तथा परिवादी से उसकी लोकेशन पुछी तो परिवादी ने ब्यावर होना व घण्टे भर में पहुचना